HARYANA VIDHAN SABHA

BILL NO. 29 — H.L.A. OF 2022

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act, 2022. Short title.

2. After clause (xxi) of section 2 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:- Amendment of section 2 of Haryana Act 11 of 1994.

'(xxi-a) "Divisional Commissioner" means the Divisional Commissioner of the division;'.

3. In section 9 of the principal Act,- Amendment of section 9 of Haryana Act 11 of 1994.

(a) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 2nd September, 2022, namely:-

"(4) The wards of panch shall be reserved for the Backward Classes (A) in every Gram Panchayat and the number of wards so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of wards in that Gram Panchayat as one-half of the percentage of population of Backward Classes (A) to the total population in that Gram Sabha area and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more and such wards shall be allotted by draw of lots among the wards other than that reserved for Scheduled Castes and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that every Gram Panchayat shall have at least one panch belonging to the Backward Classes (A) if its population is two percent or more of the total population of the sabha area and such ward shall be allotted by draw of lots among the wards other than that reserved for Scheduled Castes and also by rotation in the subsequent elections:

Provided further that where the number of wards so reserved for Backward Classes (A) under this sub-section added to the number of wards reserved for the Scheduled Castes exceeds fifty percent of the total number of wards in that Gram Panchayat, then the number of wards reserved for the Backward Classes (A) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the wards reserved for the Backward Classes (A) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total wards in that Gram Panchayat.

Explanation.— For the purposes of reservation of Backward Classes (A) under this sub-section, the population of the Gram Sabha area and the population of Backward Classes (A) in said sabha area shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government.";

(b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 2nd September, 2022, namely:-

"(7) Eight percent of the total number of offices of Sarpanch in a block and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more shall be reserved for Backward Classes (A) and shall be allotted by draw of lots among the highest three times the number of Gram Panchayats proposed for reservation for Backward Classes (A) which are having the largest percentage of population of Backward Classes (A) after excluding those Gram Panchayats where the post of Sarpanch is already reserved for Scheduled Castes under sub-section (5) and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of offices of Sarpanch in a block so reserved for Backward Classes (A) under this sub-section added to the number of offices of Sarpanch reserved for the Scheduled Castes in that block exceeds fifty percent of the total number of offices of Sarpanch in that block, then the number of offices of Sarpanch reserved for the Backward Classes (A) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the offices of Sarpanch reserved for the Backward Classes (A) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total offices of Sarpanch in that block.

Explanation.— For the purposes of reservation of Backward Classes (A) under this sub-section, the population of the block and the population of Backward Classes (A) in said block shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government.".

4. In section 51 of the principal Act,- Amendment of section 51of Haryana Act 11 of 1994.

(i) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(3A) The Director or the Deputy Commissioner, as the case may be, shall assess the amount due, if any, from the person removed under sub-section (3) on account of any loss, waste or mis-application of Gram Fund or property as consequence of his negligence or misconduct and the Deputy Commissioner shall recover the amount of loss within a period of three months from the date of order and if the amount is not recovered within the said period, the same shall be recovered as arrears of land revenue.";

(ii) in sub-section (5), for the word "Government" occurring at the end, the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

5. In section 53 of the principal Act,- Amendment of section 53 of Haryana Act 11 of 1994.

(i) in sub-section (2),-

(a) for the words "Block Development and Panchayat Officer", the words and sign "Sub-Divisional Officer" shall be substituted;

(b) the words "and take necessary steps for its recovery" existing at the end shall be omitted;

(ii) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(4A) The Deputy Commissioner shall recover the amount of loss assessed by the Sub-Divisional Officer within a period of three months from the date of order and if the amount is not recovered within the said period, the same shall be recovered as arrears of land revenue.".

Amendment of section 59 of Haryana Act 11 of 1994.

6. For sub-section (4) of section 59 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 2nd September, 2022, namely:-

"(4) The wards of member shall be reserved for the Backward Classes (A) in every Panchayat Samiti and the number of wards so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of wards in that Panchayat Samiti as one-half of the percentage of population of Backward Classes (A) to the total population in that block and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more and such wards shall be allotted by draw of lots among the wards other than that reserved for Scheduled Castes and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of wards of Panchayat Samiti so reserved for Backward Classes (A) added to the number of wards reserved for the Scheduled Castes exceeds fifty percent of the total number of wards in that block, then the number of wards reserved for the Backward Classes (A) shall be restricted to such largest number that lead to the total of the wards reserved for the Backward Classes (A) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total number of wards in that Panchayat Samiti.

Explanation.— For the purposes of reservation of Backward Classes (A) under this sub-section, the population of the block and the population of Backward Classes (A) in said block shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government.".

Amendment of section 120 of Haryana Act 11 of 1994.

7. For sub-section (4) of section 120 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 2nd September, 2022,namely:-

"(4) The wards of member shall be reserved for the Backward Classes (A) in every Zila Parishad and the number of wards so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of wards in that Zila Parishad area as one-half of the percentage of population of Backward Classes (A) to the total population in that Zila Parishad area and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more and shall be allotted by draw of lots among the highest three times of the number of wards of Zila Parishad proposed for reservation of Backward Classes (A) which are having the

largest percentage population of Backward Classes (A) after excluding those wards of Zila Parishad already reserved for Scheduled Castesand also by rotation in the subsequent elections:

Provided that where the number of wards of Zila Parishad so reserved for Backward Classes (A) under this sub-section added to the number of wards reserved for the Scheduled Castes exceeds fifty percent of the total number of wards in that Zila Parishad, then the number of wards of Zila Parishad reserved for the Backward Classes (A) shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the wards reserved for the Backward Classes (A) and Scheduled Castes not exceeding fifty percent of the total number of wards in that Zila Parishad.

Explanation.— For the purposes of reservation of Backward Classes (A) under this sub-section, the population of the Zila Parishad area and the population of Backward Classes (A) in said area shall be such, as may be drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date, as may be notified by the Government.".

Repeal and saving.

8. (1) The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2022 (Haryana Ordinance No. 1 of 2022), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to give proportionate representation to the persons belonging to Backward Classes (A) in the Panchayati Raj Institutions as per the recommendation of the Haryana Backward Classes Commission, the amendment in sections 9, 59 and 120 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 is required. This progressive change will help in empowerment and upliftment of the disadvantaged Backward Classes A.

Further to avoid repetitive enquiries against panches and sarpanchs into the allegations of misappropriation of funds or loss caused to a Gram Panchayat and to streamline the recovery process, it is necessary to amend sections 2, 51 and 53 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Hence this Bill.

DEVENDER SINGH BABLI,
Development & Panchayats Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 22nd December, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 22nd December, 2022, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE HARYANA PANCHAYATI RAJ ACT, 1994

9. Reservation and equal representation in Gram Panchayat.–(1) XXXXXXX

2. XXXXX

3. XXXXX

4. Every Panchayat shall have one panch belonging to Backward Classes if its population is two percent or more of the total population of the sabha area and such seat shall be allotted to such ward having maximum percentage of population of persons belonging to Backward Classes.

Explanation.— In case the same ward of a Gram Panchayat is eligible for reservation of Scheduled Castes and Backward Classes, preference shall be given to Scheduled Castes and the next eligible ward of Gram Panchayat shall be reserved for the Backward Class.

5. XXXXX

6. XXXXX

7. Eight percent of the total number of offices of Sarpanch in a block and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more shall be reserved through draw of lots for Backward Classes (A) and such seats shall be rotated amongst Gram Panchayats in every succeeding general election:

Provided that in case any Gram Panchayat is reserved through draw of lots but has no member in Gram Sabha belonging to Backward Classes (A) otherwise qualified to be elected as Sarpanch, then for replacing such Gram Panchayat, the draw of lots shall be held amongst the remaining unreserved Gram Panchayats.

53. Liability of Sarpanch or a Panch. *(1)* XXXXX

(2) The Block Development and Panchayat Officer concerned may, on the application of a Gram Panchayat or otherwise, for loss, waste or mis-application of Gram Fund or property belonging to that Gram Panchayat and after giving adequate opportunity to Sarpanch or Panch, as the case may be, to explain, assess by order in writing the amount due from him on account of such loss, waste or mis-application of such Gram Fund or property and take necessary steps for its recovery.

59. Reservation of seats:- (1) XXXXX

2. XXXXX

3. XXXXX

4. Eight percent of the total number of offices of members in a Panchayat Samiti and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more, shall be reserved through draw of lots for Backward Classes (A) subject to the condition that the total number of such offices reserved shall not be less than two and such seats shall be rotated amongst different wards in every succeeding general election.

120. Reservation of seats:– (1) XXXXX

(2) XXXXX

(3) XXXXX

(4) Eight percent of the total number of offices of members in a Zila Parishad and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more, shall be reserved through draw of lots for Backward Classes (A) subject to the condition that the total number of such offices reserved shall not be less than two and such seats shall be rotated amongst different wards in every succeeding general election.

10067—HVS—H.G.P.—Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या 29 एच०एल०ए०

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022
हरियाणाा पंचायती राज अधिनियम, 1994
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (xxi) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:— 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 2 का संशोधन।

'(xxi—क) ''मण्डल आयुक्त'' से अभिप्राय है, मण्डल का मण्डल आयुक्त;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 में,— 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 9 का संशोधन।

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 02 सितम्बर, 2022 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

''(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों (क) के लिए पंच के वार्ड आरक्षित किए जाएंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा ऐसे वार्ड, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रॉ आफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों (क) से सम्बंधित कम से कम एक पंच होगा, यदि इसकी जनसंख्या सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसा वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रॉ आफ लॉटस द्वारा और उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किया जायेगा।

परन्तु यह और कि जहां इस उप—धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या जोड़े जाने पर, उस ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब

पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या, उस ग्राम पंचायत में कुल वार्डों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, ग्राम सभा क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त सभा क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"।

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 02 सितम्बर, 2022 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :–

"(7) किसी खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत तथा यदि दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी, पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित होगा तथा उन ग्राम पंचायतों, जहां सरपंच का पद उपधारा (5) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित है, को निकालने के बाद, में पिछड़े वर्गों (क), जिनमें पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के लिए आरक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रॉ ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु जहां इस उप–धारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या जोड़े जाने पर, उस खण्ड में सरपंच के पदों की कुल संख्या से पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सरपंच के पदों की कुल संख्या, उस खण्ड में सरपंच के कुल पदों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उक्त खण्ड में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या, ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 51 में,— 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 51 का संशोधन।

(i) उप–धारा (3) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3क) निदेशक या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, उस व्यक्ति की तरफ देय राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा, जिसे उसकी उपेक्षा या अवचार के परिणामस्वरूप ग्राम निधि या सम्पत्ति को हुई हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के कारण उपधारा (3) के अधीन हटाया गया है तथा उपायुक्त आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर हानि की राशि की वसूली करेगा और यदि उक्त अवधि के भीतर राशि की वसूली नहीं की जाती है, तो उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।";

(ii) उप–धारा (5) में, "सरकार" शब्द के स्थान पर, "मण्डल आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. मूल अधिनियम की धारा 53 में,— 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 में धारा 53 का संशोधन।

(i) उप–धारा (2) में,—

(क) "खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "उप–मण्डल अधिकारी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अन्त में विद्यमान "और इसकी वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप–खण्ड (4) के बाद, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) उपायुक्त, आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर उप–मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित हानि की राशि की वसूली करेगा और यदि उक्त अवधि के भीतर राशि की वसूली नहीं की जाती है, तो उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 02 सितम्बर, 2022 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 59 का संशोधन।

"(4) प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्गों (क) के लिए सदस्यों के वार्ड आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस पंचायत समिति में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस खण्ड की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा ऐसे वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित से भिन्न वार्डों में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु जहां पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित पंचायत समिति के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या जोड़े जाने पर, उस खण्ड में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से

अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या, उस पंचायत समिति में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, खण्ड की जनसंख्या तथा उस खण्ड में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।''।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 120 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 120 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 02 सितम्बर, 2022 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :–

''(4) प्रत्येक जिला परिषद् में पिछड़े वर्गों (क) के लिए सदस्यों के वार्ड आरक्षित होंगे तथा इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी, जो उस जिला परिषद् क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की प्रतिशतता का आधा होगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित जिला परिषद् के उन वार्डों को निकालने के बाद, पिछड़े वर्गों (क), जिनमें पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, के आरक्षण हेतु प्रस्तावित जिला परिषद् के वार्डों की अधिकतम तीन गुणा संख्या में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के लिए इस प्रकार आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या को जोड़ने पर, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्गों (क) के लिए आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछडे वर्गों (क) तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल वार्डों की संख्या, उस जिला परिषद् में वार्डों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्गों (क) के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, जिला परिषद् क्षेत्र की जनसंख्या तथा उक्त क्षेत्र में पिछड़े वर्गों (क) की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन प्रमाणित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।''।

8. (1) हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (2022 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग (क) के व्यक्तियों को समानुपातिक आरक्षण देने की दृष्टि से जिसके लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9, 59 एवं 120 में संशोधन, आवश्यक है। यह प्रगतिशील परिवर्तन पिछड़े वर्ग 'क' के बीच अधिक वंचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उत्थान में मदद करेगा।

इसके अलावा पंच और सरपंचों के विरुद्ध ग्राम पंचायत फण्ड के गबन या नुकसान के आरोपों में दोहरी जांच से बचने के लिए और नुकसान की वसूली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2, 51 और 53 में संशोधन करना आवश्यक है।

इसलिए यह विधेयक है।

देवेंद्र सिंह बबली,
विकास एवं पंचायत मन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 22 दिसम्बर, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से उद्धरण

9. ग्राम पंचायतों में आरक्षण तथा समान प्रतिनिधित्व – (1) XXXXX

(2) XXXXX

(3) XXXXX

(4) प्रत्येक पंचायत में पिछड़े वर्गों से संबंधित एक पंच होगा, यदि इसकी जनसंख्या, सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के दो प्रतिशत अथवा से अधिक है और ऐसा स्थान, पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्ड को आबंटित किया जाएगा।

व्याख्या.– यदि किसी ग्राम पंचायत का एक ही वार्ड, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए वांछनीय है, तो अधिमान अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा और ग्राम पंचायत का आगामी वांछनीय वार्ड पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगा।

(5) XXXXX

(6) XXXXX

(7) किसी खण्ड में सरपंच के कुल पदों की संख्या का आठ प्रतिशत तथा आगामी उच्चतर पूर्णांक का पूर्णांकित, यदि दशमलव मूल्य 0.5 अथवा उससे अधिक है, पिछड़े वर्ग (क) के लिए ड्रॉ आफ लॉटस के माध्यम से आरक्षित होगी और ऐसे स्थान, प्रत्येक उत्तरवर्ती आम निर्वाचन में ग्राम पंचायतों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे:

परन्तु यदि कोई ग्राम पंचायत ड्रॉ आफ लॉटस के माध्यम से आरक्षित की गई हैं किन्तु पिछड़े वर्ग (क) से सम्बंधित ग्राम सभा में सरपंच के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अन्यथा से योग्य कोई सदस्य नहीं है, तो ऐसी ग्राम पंचायत के प्रतिस्थापन हेतु, शेष अनारक्षित पंचायतों के लिए ड्रॉ आफ लॉटस से किया जायेगा।

53. सरपंच और पंच का दायित्व –

(1) XXXXX

(2) संबंध खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकरी किसी ग्राम पंचायत के आवेदन पर या अन्यथा उस ग्राम पंचायत से संबंधित ग्राम निधि अथवा सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय अथवा दुरूपयोजन के लिये तथा सरपंच अथवा पंच, जैसी भी स्थिति हो, को स्पष्टीकरण का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी ग्राम निधि अथवा सम्पत्ति को ऐसी हानि, दुर्व्यय अथवा दुरूपयोजन के मद्दे के उससे देय राशि लिखित में आदेश द्वारा निर्धारित कर सकता है और इसकी वसूली के लिये आवश्यक कदम उठा सकता है।

59. आरक्षण तथा समान प्रतिनिधित्व – (1) XXXXX

(2) XXXXX

(3) XXXXX

(4) किसी पंचायत समिति में सदस्यों के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत तथा आगामी उच्चतर पूर्णांक का पूर्णांकित, यदि दशमलव मूल्य 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो इस शर्त के अध्यधीन पिछड़े वर्ग (क) के लिए ड्रॉ ऑफ लॉटस के माध्यम से आरक्षित होगा कि ऐसे आरक्षित पदों की कुल संख्या दो से कम नहीं होगी और ऐसे स्थान, प्रत्येक उत्तरवर्ती आम निर्वाचन में भिन्न–भिन्न वार्डों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे ।

120. आरक्षण तथा समान प्रतिनिधित्व – (1) XXXXX

(2) XXXXX

(3) XXXXX

(4) किसी जिला परिषद् में सदस्यों के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत तथा आगामी उच्चतर पूर्णांक का पूर्णांकित, यदि दशमलव मूल्य 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो इस शर्त के अध्यधीन पिछड़े वर्ग (क) के लिए ड्रॉ ऑफ लॉटस के माध्यम से आरक्षित होगा कि ऐसे आरक्षित पदों की कुल संख्या दो से कम नहीं होगी और ऐसे स्थान, प्रत्येक उत्तरवर्ती आम निर्वाचन में भिन्न–भिन्न वार्डों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे।

10067—HVS—H.G.P.—Pkl.